राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प.9(21)राज-6/2004/37- जयपुर, दिनांक 18.11.2004

::अधिसूचना::

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा-26 की उप-धारा (1) सपठित धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा-135 की उपधारा (1) एंव अधिसूचना क्रमांक प.5(21)राज/ग्रुप-4/80/35 दिनांक 4.9.82 यथा संशोधित के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की तहसीलदार पर अधिरोपित कर्त्तव्यों एंव शक्तियों का प्रयोग राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा ।

1. समस्त अतिरिक्त तहसीलदार
2. समस्त तहसीलदार (लीव रिजर्व)
3. समस्त सब रजिस्ट्रार
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी (तहसीलदार) सार्वजनिक निर्माण विभाग
5. सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (तहसीलदार) वन विभाग
6. तहसीलदार, नगर विकास न्यास
7. तहसीलदार, मंडी, बीकानेर ।

यह अधिसूचना दिनांक 27.11.2004 से 31.12.2004 तक प्रभावशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बी०एस०मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदया/राजस्व मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
7. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 18.11.2004 में प्रकाशनार्थ ।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
9. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व/उपनिवेशन ।
11. अतिरिक्त निबन्धक, राजस्व मण्डल (वित्त एंव लेखा)
12. रक्षी पत्रावली ।

शासन उप सचिव

बीएल/